

एसटीपी की शोधन क्षमता का होगा अध्ययन

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) जल बोर्ड के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपी) की शोधन क्षमता का अध्ययन कराएगी। इसमें एक यह पहलू भी शामिल रहेगा कि एसटीपी की क्षमता बढ़ाने से यमुना की जल गुणवत्ता सुधारने में किस हद तक सहायता मिल सकती है। डीपीसीसी ने इस अध्ययन को लेकर 15 दिनों के भीतर सरकारी एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली में जल बोर्ड के कुल 37 एसटीपी हैं। इनमें अपशिष्ट जल को पुनःउपयोग लायक बनाने के मानक भी तय हैं, लेकिन या तो ये एसटीपी खराब पड़े रहते हैं या फिर मानकों के अनुरूप काम नहीं करते। नतीजा, अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग सुनिश्चित हो ही नहीं पाता, यह जल यमुना में जाकर उसे भी प्रदूषित करता है।

इसी स्थिति में बदलाव के लिए डीपीसीसी इन एसटीपी की शोधन क्षमता बढ़ाने सहित शोधित पानी का

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अध्ययन के लिए सरकारी एजेंसियों से मांगे प्रस्ताव
- जाचेंगे कि शोधन क्षमता बढ़ाने पर यमुना की जल गुणवत्ता सुधारने में कितनी सहायता मिलेगी



द्वाराका स्थित जल शोधन संयंत्र केंद्र •

बेहतर ढंग से पुनःउपयोग सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। इसी के मद्देनजर अध्ययन कराया जाएगा। इससे डीपीसीसी यह जानना चाहती है कि एसटीपी की शोधन क्षमता बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा एवं इसका उपयोग यमुना की जल गुणवत्ता सुधारने में कैसे किया जा सकता है।

क्या है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) जल उपचार प्रक्रियाओं का एक वर्गीकरण है, जिससे अपशिष्ट जल को कम कर स्वच्छ पानी का उत्पादन करना है। ऐसा पानी जो पुनःउपयोग (उदाहरण के लिए सिंचाई) के लिए उपयुक्त है।

एसटीपी की शोधन क्षमता बढ़ाने और इसके प्रभाव का अध्ययन अनिवार्य है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज भी समय की मांग बन गया है। अगर पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई और अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग आरंभ नहीं किया तो जल संकट उत्पन्न होगा।

- डा. अनिल गुप्ता, सदस्य, डीपीसीसी

डीपीसीसी के एक अधिकारी ने बताया कि अपशिष्ट जल का पुनःउपयोग करने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) पर भी काम किया जाएगा। जल बोर्ड ही नहीं, औद्योगिक इकाइयों को भी एसटीपी और सीईटीपी पर जेडएलडी के फार्मूले का प्रयोग करना होगा, ताकि पानी बर्बाद नहीं हो।